ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की दिनांक 30.11.2017 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 30.11.2017 को आहूत माननीय कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक की कार्यसूची के मद संख्या–1 "विश्वविद्यालय में कार्यरत् 28 शिक्षकों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने पर विचार करना" के सम्बन्ध में यह पाया गया कि जिन शिक्षकों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है उनमें वर्तमान कुलपति/पदेन अध्यक्ष कार्यपरिषद तत्समय विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। अतः माननीय कार्यपरिषद ने आज की बैठक के लिए अन्य अध्यक्ष के नाम का चयन करना चाहा जिसपर कार्यपरिषद के सदस्य माननीय प्रो0 वी0डी0 मिश्रा जी ने [illegible] सदस्य श्री योगेश मोहन जी गुप्ता के नाम का प्रस्ताव कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जिस पर कार्यपरिषद सदस्य माननीय श्री अज़मल हुसैन ज़ैदी ने समर्थन दिया। इस प्रकार आज की कार्यपरिषद की बैठक में निम्नप्रकार सदस्य उपस्थित रहे।

उपस्थित :

क्रम	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री योगेश मोहन जी गुप्ता	अध्यक्ष	
2.	प्रो0 वी0डी0 मिश्रा	सदस्य	
3.	श्री अजमल ह़ुसैन ज़ैदी	सदस्य	
4.	श्री टी0आर0 यादव, कुल सचिव/वित्त अधिकारी	सचिव	

कार्यपरिषद की बैठक में माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन, सदस्य (न्यायिक) तथा प्रो0 ज़ाहिद हुसैन ख़ान (सदस्य) अन्य व्यवस्तताओं के कारण सम्मिलित नहीं हो पाये तथा विश्वविद्यालय के विधिक परामर्शी श्री राकेश कुमार चौधरी (अधिवक्ता) को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रकरण की महत्ता को देखते हुए कार्यपरिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

कार्यवाही

सद संख्या–1

विश्वविद्यालय में कार्यरत 28 शिक्षकों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने पर विचार करना।

निर्णय–

कार्यपरिषद के समक्ष दिनांक 28.05.2017 को प्रो0 वी0डी0 मिश्रा की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 10.06.2017 की निष्कर्ष आख्या कुल सचिव द्वारा प्रस्तुत की गयी। जिसके सम्बन्ध में प्रो0 मिश्रा जी ने अवगत कराया कि उन्हें उक्त रिपोर्ट दिनांक 07.05.2017 तक प्रस्तुत करनी थी परन्तु उन्होंने किन्हीं [illegible] उक्त रिपोर्ट दो भागों में दिनांक 03.06.2017 एवं 10.06.2017 को प्रस्तुत की। इस विलम्ब को कार्यपरिषद द्वारा कन्डोन किया गया।

जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आकांक्षा शुक्ला से सम्बन्धित रिपोर्ट भी सम्मिलित थी, अतः कार्यपरिषद ने आकांक्षा शुक्ला से सम्बन्धित रिपोर्ट को भी प्रस्तुत करने के लिए सहमति दी। साथ ही दिनांक 30.11.2017 की कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक की कार्यसूची के सद संख्या–1 को इस सीमा तक संशोधित करने पर भी अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 28.05.2017 को गठित समिति की रिपोर्ट कार्यपरिषद के समक्ष कुल सचिव/सदस्य सचिव द्वारा पूर्ण रूप में पढ़ा गया तथा कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर अनुमोदित किया गया। कार्यपरिषद ने माननीय न्यायधीश श्री एस0के0 त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2017 जिसको कार्यपरिषद ने अपनी बैठक दिनांक 28.05.2017 में 23 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उक्त रिपोर्ट को भी कार्यपरिषद ने आज पुनः परीक्षण करते हुए स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार कुल 23 + 06 = 29 (डॉ0 आकांक्षा शुक्ला को सम्मिलित करते हुए) के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त दोनों रिपोर्टो पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु कुल सचिव जी को अधिकृत किया गया।

डॉ0 मसऊद आलम की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया जिसमें तत्कालीन वित्त अधिकरी/जांच अधिकारी श्री एस0सी0 सिंगल की जांच रिपोर्ट को स्वीकृत करते हुए डॉ0 मसऊद आलम के कार्यभार ग्रहण की तिथि 18.04.2013 के स्थान पर 22.04.2013 की तिथि को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु कुल सचिव को अधिकृत किया गया।

अन्य विषय :—

कुल सचिव ने बताया कि कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में श्री सलेह कुमार चौधरी की विधि परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति की गयी है। कार्यपरिषद द्वारा इस नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(टी0आर0 यादव)
कुल सचिव/सचिव, कार्यपरिषद

(योगेश मोहन जी गुप्ता)
अध्यक्ष, कार्यपरिषद